RAJYA SABHA

Wednesday, the 26th February, 2003/7 Phalguna, 1924 (Saka)

The House met at eleven of the clock.

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Deportation of illegal Bangladeshis

*121. SHRI SANJAY NIRUPAM:††
SHRIMATI SAVITA SHARDA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Ministry has started any serious attempt to send the illegal Bangladeshi migrants back to their country;

(b) if so, the details of the attempts and the number of migrants sent back to Bangladesh in last six months; and

(c) how many have been deported in the above said period from Mumbai?

THE DEPUTY PRIME MINISTER, INCHARGE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI) (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The efforts to detect and deport illegal Bangladeshi migrants back to their country have been intensified.

The powers under Section 3(2)(c) of the Foreigners Act, 1946 to detect and deport foreign nationals staying in India unauthorisedly have been entrusted to the State Governments/Union Territory Administrations who have been asked to launch special drives to detect and deport illegal Bangladeshi migrants.

---

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sanjay Nirupam.

The matter was also discussed in the Conference of Chief Ministers held recently and they were sensitized on the need to take effective and sustained action in this regard. Besides the matter has also been taken up diplomatically with the Government of Bangladesh at various levels.

During the last 6 months from August, 2002 to January, 2003, 8480 Bangladeshi migrants were sent back to Bangladesh out of which 159 were deported from Mumbai.

श्री सभापति: प्रश्न संख्या 121 ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, आज देश भर से लाखों मज़दूर हमारी राजधानी दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री सभापति: वह आलरेडी आज आ रहा है।

श्री सुरेश पचौरी: सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री संजय निरूपम: क्वेश्चन आवर में नहीं, क्वेश्चन आवर के बाद में। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: मजदूरों के मामले में कालिंग अटेंशन नोटिस है जब वह आयेगा, उस समय आप बोल लेना। इसके मामले में नोटिस है उस पर चर्चा होगी। उस समय आप बात कर लीजिएगा। मैं आपको खासतौर से अलाऊ कर दूंगा। श्री संजय निरूपम।

श्री संजय निरूपम: सभापति जी, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो प्रश्न है, वह इस देश में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं कह सकता हूं कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इस मुद्दे पर माननीय गृह मंत्री जी का बयान आया है वह यह है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस उनके देश भेजने के प्रयास तेज कर दिए गए है। इसके लिए मुख्यमंत्रियों की एक कांफ्रेंस हुई। उस कांफ्रेंस में कहा गया कि भाई अपने-अपने राज्यों में आप अवैध बांग्लादेशियों का पता लगायें और उन्हें वापस भेजें। यह जो बयान है,वह 26 फरवरी, 2003 यानी आज दिया हुआ बयान है। मैं पांच साल पहले लेकर जाऊं 19 जुलाई, 1998 को जब इसी सदन में बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर चर्चा हो रही थी तो माननीय आडवाणी जी, गृह मंत्री ने बयान दिया था कि बांग्लादेशी हमारे देश में करीब डेढ़ करोड़ के आसपास हो सकते हैं और इन सबको वापस भेजना मुश्किल है, मैं नहीं भेजूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि नॉन-सिटीजन्स का एक रजिस्टर बनाया जायेगा और उसमें उनको रजिस्टर भी किया जा सकता है। उनको वर्क परमिट भी दिया जा सकता है, अलग-अलग आईडेंटिटि कार्ड अलग-अलग कलर के मिलेंगे, यानी उस समय सरकार की भूमिका यह थी कि बांग्लादेशियों को वापस नहीं भेजा जाएगा। आज लगभग पांच साल के बाद सरकार की भूमिका

स्पष्ट हो रही है कि बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजा जाना चाहिए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर उसकी भूमिका बांग्लादेशियों के लिए इतनी कंफयूजिंग क्यों है? आखिर इनकी कौन-सी भूमिका पर हम इस देश के नागरिकों को, इस देश में रहने वालों को विश्वास करना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति महोदय, निरुपम जी ने जो पांच साल पहले वाली बात कही है, उस समय वहां की सरकार से भी बातचीत चल रही थी। औपचारिक रूप से तब भी वे इन्कार करते थे कि हमारे कोई अवैध लोग हैं। अनधिकृत रूप से वे मानते थे कि बात सही है और तब उस बात में से हमने यह बात पहली बार सोची थी कि एक आईडेंटिटी कार्ड सबको दिया जाए। तब यह भी सोचा था कि इस आईडेंटिटी कार्ड के प्रोसेस में अगर कुछ लोग मानते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं तो हम उनको भी कार्ड दे सकते हैं और वह वर्क परमिट का स्वरूप हो सकता है। इस बात को बांग्लादेश की सरकार ने भी उस समय स्वीकार किया था कि यह प्रपोजल अच्छा है, लेकिन वह बात आगे नहीं चली, तब तक वहां की सरकार बदल गई और अब तो जो इस सरकार का स्वरूप है, उसमें वह कहते हैं कि कोई इस प्रकार का अवैध बांग्लादेशी हिन्दुस्तान में है ही नहीं।

साथ ही साथ उन चार-पांच सालों में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर विचार करते हुए पुलिस के अधिकारियों की ओर से कहा गया कि हमको बहुत सारी समस्यायें इन तत्वों से भी होती हैं और इसीलिए आपको ध्यान होगा कि यह जो निर्णय हुआ औपचारिक रूप से इस मामले में अपनी गति तेज की जाये। इसलिए देश भर के चीफ सेक्रेटरीज और कमिश्नर आफ पुलिस का एक सम्मेलन पिछले साल के अंत में हुआ और उसमें इसका निर्णय हुआ और जिसकी पुष्टि अभी के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हुई है। इसमें कोई दो एप्रोचिज़ नहीं हैं, इसमें एक ही एप्रोच है और वह एप्रोच फोरनर्स एक्ट भी हम पर लागू करता है कि जो विदेशी बिना अधिकार के यहां पर हैं, उनको वापस भेजना चाहिए।

श्री संजय निरूपम: सभापति जी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि डेढ़ से दो करोड़ के आसपास बांग्लादेशी अवैध रूप से हमारे देश में रह रहे हैं। हालांकि अधिकृत तौर पर सेंसस करना मुश्किल है। जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनकी जनगणना नहीं हो सकती है, लेकिन एक अनुमान है कि दो करोड़ के आसपास अवैध बांग्लादेशी हमारे देश में रह रहे हैं। एक बांग्लादेशी को वापस बांग्लादेश भेजने में लगभग पांच हजार रुपये का खर्च आता है, यह मुम्बई पुलिस के एक-दो आफीसर्स से बातचीत करने में मुझे पता चला। अगर दो करोड़ लोगों को वापस भेजने के लिए सरकार वचनबद्ध है तो लगभग दस हजार करोड़ रुपये के आसपास खर्च आयेगा। अगर अलग-अलग राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार ने इस तरह का निर्देश दिया है और राज्य सरकारों की तरफ से अगर कोई रिसपांस मिलता है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापिस

भेजने के लिए जो खर्च वहन करना पड़ेगा, उस खर्च को क्या केन्द्र सरकार की तरफ से मुहैया कराया जा सकता है? यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापिस भेजने के लिए जो दस हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा, उसके लिए क्या किसी विशेष फंड की व्यवस्था की जा सकती है जो राज्य सरकारों के बीच बांटा जा सके?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, यह जवाबदेही सब लोग निभा रहे हैं। उसमें जो खर्चा होगा, देश की सुव्यवस्था के लिए खर्चा होता है, उसमें यह भी खर्चा शामिल है। अलबत्ता यह जरूर है कि यह अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को डेलीगेट किया गया है और वे कर रही हैं।

श्री बालकवि बैरागी: महोदय, प्रश्न संख्या 135 इसी से संबंधित है। अत: मेरा अनुरोध है कि इसे भी साथ ही ले लिया जाए।

श्रीमती सविता शारदा: महोदय, बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या जो उठी है, 1971 में पाकिस्तान के जुल्म जब शुरू हुए थे, तब से लेकर अब तक घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2002 में भी हमारे बी॰एस॰एफ॰ के जवानों ने 7,514 घुसपैठियों को पकड़ा था। महोदय, 17 फरवरी के अपने भाषण में राष्ट्रपति महोदय ने भी इस बात को स्वीकारा है कि बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की समस्या गंभीर हो गयी है और इससे अनेक राज्य प्रभावित हुए हैं। आज अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या करोड़ों में पहुंच गयी है, जैसा अभी संजय निरुपम जी ने भी बताया, इससे देश की आर्थिक व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। उत्तर पूर्व तथा भारत से लगी जो...

श्री सभापति: आपका प्रश्न क्या है, वह पूछिए।

श्रीमती सविता शारदा: सर, मेरा प्रश्न यह है कि उत्तर पूर्व तथा भारत से लगी 4,300 किलोमीटर लम्बी जो सीमा है, उसमें काफी सक्रिय गुट भी शामिल हो गये हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार का विचार सीमा पर कांटेदार तार लगाने का है जिससे बांग्लादेशियों की अवैध रूप से घुसपैठ को रोका जा सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): महोदय, हमारी सीमा पर बांग्लादेश में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए गये हैं। उसमें फैंसिंग का भी प्रावधान है और यह काम नियमित रूप से चल रहा है।

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, जो तार लगाने का काम चल रहा है...

श्री सभापति: आपने जो प्रश्न पूछा था, वह उन्होंने बता दिया है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the hon. Minister has very correctly pointed out that the persons have to be detected, identified and thereafter, depported and the State Governments are authorised, under the Foreigners Act, to undertake this exercise. But the problem is very serious and not merely the bordering States but even the States which are not having a direct border with Bangladesh are also being affected by the infiltrators because once they cross the border and enter into the mainland, there is no restriction on their moving from one place to another. He had some discussions at the official level meetings. So, I would like to know from the hon. Home Minister whether any institutional arrangement has been made to constantly monitor, with the State Governments, their movement, so that these works can go on uninterruptedly, *i.e.* identification, detection and thereafter deportation.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, this is a matter in which, after the recent two Conferences, the Home Ministry has undertaken this task of constantly being in touch with the State Governments to see that the decisions taken in these two Conferences are implemented. As everyone would appreciate, this is not an easy task, but despite the difficulty, what has been achieved by these two Conferences and these decisions is that there may be a psychological stop to the kind of inference that, perhaps, most of these immigrants have drawn earlier, that India is not going to take any step and therefore, this kind of illegal immigration can go on. And this is one purpose for which this particular drive has been undertaken. Whatever we are able to achieve would, certainly, act as a deterrent to this kind of unfettered flow of illegal immigrants.

DR. ARUN KUMAR SARMA: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister, in his reply, has evaded one particular issue. He has mentioned only about the Foreigners Act, 1946, which is used for detection of foreigners. But, in Assam, the law that is applied is the Illegal Migrant (Determination by Tribunals) Act, 1983. Probably, nowhere in the world, there would be, in one country, two different laws for the detection purpose. Would the hon. Minister assure this House that the IMDT Act will be repealed and only one law will be utilised for detection of foreigners in the country? Secondly, what will be the status of those who have already entered into the voters' list and participated in the elections in India?

SHRI L.K. ADVANI: The hon. Member from Assam has raised the issue of the IMDT Act, 1983. It is an Act enacted in 1983 and till today, under that Act, only 1,496 illegal immigrants have been deported. There are different opinions on that. The hon. Member may also be aware of that fact that the legality and constitutionality of this law is presently in question before the Supreme Court. The Government is awaiting the Supreme Court's decision on that. We certainly feel that there should be a single law in the whole country in respect of foreigners.

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has referred to the border fencing project. Our information is that border fencing project has not moved speedily in the last five years. Would the hon. Minister give us the figures as to what has been the progress of border fencing on the Bangladesh border?

श्री हरिन पाठक: जो इल्लीगल इम्मीग्रेंट्स सीमा पर से आते है, उनको रोकने के लिए जो तीन-चार कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक का जिक्र आपने किया है, वह बॉर्डर फेंसिंग का है। उसका फर्स्ट फेज़ का काम पूरा हो चुका है, सेकेंड फेज़ का काम अभी हम शुरू कर रहे हैं। आने वाले पांच सालों में हम सेकेंड फेज़ में यह काम पूरा करेंगे।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: How many kilometers have been completed?

श्री हरिन पाठक: फेज़ वन में लेंथ ऑफ दि बॉर्डर वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा में कुल मिलाकर 3318 किलोमीटर और टोटल 4995 किलोमीटर है। उसमें से फर्स्ट फेज़ में फेंसिंग का काम हुआ है। वेस्ट बंगाल में 507 किलोमीटर हुआ है, असम में 152 किलोमीटर हुआ है, मेघालय में 198 किलोमीटर हुआ है, टोटल 857 किलोमीटर हुआ है।

श्री सभापति: श्री लालू प्रसाद जी, पूछिए आज भाषण नहीं होगा। आप रिकॉर्ड बना दीजिए सीधे प्रश्न पूछने का।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह जो फिगर आपने बताया है, यह अनुमान से बताया है। आप अपनी साजिश को थोप देते हैं सारे राज्यों के अफसरों और मुख्य मंत्रियों के ऊपर और बात चलाते हैं आप दिल्ली से। तो अंदाज़ पर गणित हो गया, हिसाब-किताब हो गया कि दस हज़ार करोड़ रुपया लगाया।

श्री सभापति: वह तो उन्होंने लगाया, सरकार ने नहीं लगाया।

श्री लालू प्रसाद: ठीक है, यह अनुमान है। अब यह जिम्मेदारी दी गई है कि राज्य सरकार पता लगाए कि बांगलादेशी घुसपैठिए कितने हैं ? यह पता आपने पहले भी लगाया था जब बांगलादेश

के होम मिनिस्टर ने बताया था कि आइडेंटिटी कार्ड की बात हो गई है, सब तय हो गया था। अब सरकार बदल गई, नई सरकार आई है और बोलते हैं कि हमारा कोई आदमी नहीं है। हम माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपकी योजना क्या है? क्या आप स्टेटवाइज़ बताने का कष्ट करेंगे कि कितने बांगलादेशी हर राज्य में बसे हुए हैं ? किस रूप में और किन गांवों में बसे हुए हैं? आपके पास आई०बी० है, इंटेलिजेंस है, रॉ है, बीसों तरह की एजेंसियां हैं जो राज्यों के लिए सहायक होंगी। महोदय, अगर हम चिन्हित भी कर लेते हैं तो बांगलादेश की सरकार कहती है कि हमारा नागरिक नहीं है। तो इनको पार आप कैसे कराएंगे? यह युद्ध संभावी है या नहीं, यह भी बताने का कष्ट करें। वह तो बोलेगा कि वह भारतीय नागरिक है।

श्री हरिन पाठक: सभापति जी, माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा है उसके संदर्भ में अभी अभी गृह मंत्री जी ने बताया कि राज्य और केन्द्र की कार्य प्रणाली कानून के अंतर्गत है। Under section 2(c)(3) of the Foreigners Act, 1946 powers are delegated to the States to identify and deport them from their respective States. हम जो सहायता देते हैं, वह अपनी खुफिया एजेंसीज के माध्यम से राज्यों को देते हैं। उनके इस कार्य को निभाने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से जो भी सहायता देनी है वह देते हैं। राज्यों का कर्तव्य है कि वे उन्हें ढूंढें। अगर वे विदेशी नागरिक हैं तो उन्हें वापस विदेश भेजें।

श्री लालू प्रसाद: कितने हैं यह बताएं। सवाल कुछ पूछ रहे हैं और जवाब कुछ दे रहे हैं। कितने नागरिक हैं यह देश को बताना चाहिए। वहां यह भ्रम पैदा हो रहा है कि जब-जब इनका चुनाव आता है तब-तब ये कहते हैं पुलिया से निकालते हैं। कहते हैं कि यह बांगलादेशी देखो, वह पाकिस्तानी देखो। यह घुस गया है, वह घुस गया है। इन्हें बताना चाहिए कि स्थिति क्या है।

श्री शंकर राय चौधरी: माननीय सभापति जी, आपके जरिए मेरा यह सवाल है कि बंगलाभाषी हिन्दुस्तानी--इस हिन्दुस्तान में रहने वाले मुसलमान और बंगलाभाषी बंगलादेश में रहने वाले मुसलमान को जब चिन्हित किया जाता है, चाहे मुम्बई में किया जाता हो या अहमदाबाद में किया जाता हो, किस आधार पर चिन्हित किया जाता है?

श्री हरिन पाठक: सभापति जी, जैसाकि मैंने बताया कि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे देश में दो प्रकार के विदेशी नागरिक आते हैं। एक तो वैलिड वीजा लेकर, परमिट लेकर आते हैं और दूसरे बिना परमिट के आते हैं। कानून के अंतर्गत परमिट लेना जरूरी है। जो परमिट लेकर आते हैं, वे अगर अपना वीजा समाप्त होने के बाद भी ज्यादा समय रहते हैं तो उनको चिन्हित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जो हमारा राज्य सरकार का तंत्र है वह उनका वीजा देखता है। वे उनके एड्रेस का पता लगाते हैं। मान लिजिए कि कोई व्यक्ति अहमदाबाद में रहता है तो उसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि वह हिन्दुस्तानी है या नहीं है। वह हिन्दुस्तानी होगा तो उसके पास सारे

प्रमाण होंगे। अगर वह नहीं है और वह कोई पता देता है कि वह वेस्ट बंगाल में रहता है तो कानून के अंतर्गत वह राज्य सरकार उस प्रदेश में जाकर इन्फोर्मेशन लेती है कि जो पता लगाया गया वह ठीक है या नहीं है। पूरी जानकारी के बाद ही निर्णय लिया जाता है। किसी भी निर्दोष भारतीय नागरिक को परेशान नहीं किया जाता है।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I am coming to the same question which Shri Shankar Roy Chowdhury just now put. Without any institutional mechanism, is the Home Ministry not aware of certain cases of harassment of genuine Indian Bengali-speaking minority Muslims? Have you not received any complaints from anywhere? Have you got any institutional mechanism to see that genuine Bengali-speaking Indian citizens are not harassed? I would like to know from the hon. Minister whether there are any guidelines for this purpose. As you have just now said, can you assure the House that the State Governments will check with the West Bengal Government or other Governments with regard to Bengali-speaking Muslims, who are being harassed, though they are Indian citizens? Would you kindly give us an assurance that they will not be harassed?

श्री हरिन पाठक: सभापति जी, जहां तक हमारे पास इन्फोर्मेशन है उसके मुताबिक किसी भी भारतीय नागरिक को परेशान नहीं किया जाता है। माननीय सदस्य की चिंता है कि ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: हमारे यहां मारा है ...(व्यवधान)... How do you say that? You don't know the facts. Have you not received any complaints of harassment so far?

SHRI HARIN PATHAK: Let me complete.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: You are starting with a wrong premise that you have not received any complaints of harassment. You ask your senior colleague whether he has received any complaints of harassment.

श्री हरिन पाठक: सभापति जी, मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं कि यदि उनके ध्यान में कोई विशेष केस है तो वे उसे हमारे ध्यान में लाएं। हम इस पर जरूरी कार्यवाही करेंगे।

श्री दीपांकर मुखर्जी: यह तो कोई जवाब नहीं हुआ।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सभापति जी, जब देश का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना था। जनरल शंकर राय चौधरी ने जो सवाल किया

है वह बहुत इम्पोर्टेन्ट सवाल है। पंजाब और बंगाल में माइग्रेशन हुआ था। वहां की मादे जबान पंजाबी है। पंजाबी मुसलमान और पंजाब के रहने वाले सिक्खों की जबान एक है, उनका नैन-नक्ख, कल्चर एक है, खाना-पीना एक है, पहनावा एक है। इसी तरह बंगाल में भी ऐसा ही है। पर इस्राइल ने एक नई चीज़ डीएनए टैस्ट की ईजाद की है जिसका प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्र में अपने ओरिजन के लोगों को पहचानने के लिए किया था। क्या सरकार डीएनए टैस्ट के माध्यम से उनके ओरिजन का पता लगायेगी?

श्री हरिन पाठक: इतनी भारी मात्रा में कैसे संभव है। ... (व्यवधान) देश की आबादी सौ करोड़ की है। ... (व्यवधान)

*122. [The questions (Shri Raju Parmar and Shri Bhagat Ram Manhar) were absent. For answer *vide* Page ..... *infra*]

Use of Aircrafts Reserved for PM and Home Minister

*123. SHRI SANTOSH BAGRODIA:††
SHRI R.K. ANAND:
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many and what type of aircrafts have been kept reserved for the use of Prime Minister and Home Minister; and

(b) to whom these aircrafts belong to and how are there aircrafts utilised when Prime Minister and Home Minister does not require it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): (a) Air Headquarter Communication Squadron of Indian Air Force is equipped with two Boeing-737, six HS-748 and six MI-8 helicopters to cater to the air-lift requirements of the President, Vice-President, Prime Minister, Dy. Prime Minister and other VIPs.

(b) These aircrafts belong to the Indian Air Force and are used for VVIPs/dignitaries as per the standing order of the Government.

श्री संतोष बागड़ोदिया: मि॰ चेयरमैन सर, हमें आपका प्रोटैक्शन चाहिए। यैन यू आर आस्किंग लालू जी कि आप सीधा क्वश्चन करिए तो जब हम सीधा क्वश्चन किए हुए रहते हैं तब उसका

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Santosh Bagrodia.